

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या :

32/2015, गुण्डा एक्ट

07/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल स्वयं उपस्थित ।

–: निर्णय :-

दिनांक:-27.03.2024

गैर सायल मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा के विरुद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये दिनांक 16.10.2015 एवं दिनांक 01.08.2016 को यह इस्तगासे प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया है। मुताबिक इस्तगासे संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	तारीख रजजू	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	सिकन्दरा	231/15	05.06.2015	13 आरपीजीओ	173/15	18.06.2015	सजा जुर्माना 100 दिनांक 06.07.2015
2.	सिकन्दरा	147/15	28.04.2015	13 आरपीजीओ	129/15	30.04.2015	सजा जुर्माना 100 दिनांक 22.06.2015

उक्त शख्स मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा जुंआ व सट्टेबाजी करने का आदि है जो बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति का नवयुवक व्यक्ति है, जिसकी इलाका थाना हाजा व आस-पास में दहशत फैली हुई है। उक्त शख्स के खिलाफ छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से भी लोग कतराते हैं व उक्त शख्स के खिलाफ गवाही देने से भी लोग डरते हैं। उक्त शख्स शराब पीने का भी आदि है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नियत तारीख पेशी पर लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरुद्ध थाना महवा जिला दौसा में जुंए सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज है, जिसमें गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुंआ सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। उक्त शख्स के खिलाफ छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से भी लोग कतराते हैं व उक्त शख्स के खिलाफ गवाही देने से भी लोग डरते हैं। उक्त शख्स शराब पीने का भी आदि है। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अतः गैर सायल मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं एक मजदूरी पेशा व्यक्ति हूँ। जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता हूँ। प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज केवल मात्र 13 आरपीजीओ के प्रकरण है। प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी को दण्डित भी किया जा चुका है। प्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही लागू नहीं होती है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे एवं प्रार्थी के विरुद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरुद्ध पूर्व में 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज है। धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरणों में प्रार्थी को सजा से दण्डित किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत दोनो इस्तगासो में अंकितानुसार गैर सायल मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआं-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी सिकन्दरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा को दिनांक 28.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल मेहन्दीपुर बालाजी होते हुये थाना टोडाभीम जिला करौली पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना टोडाभीम जिला करौली को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र टोडाभीम जिला करौली में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना टोडाभीम जिला करौली के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं करौली को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।



यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा